

**आदेश**

निम्नांकित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) (सत्र 2021-22 एवं 2022-23) अवधी का अध्ययन अवकाश उनके द्वारा प्रस्तुत जीए-45 के आधार पर आरएसआर नियम 110-112 के तहत निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है:-

क्रसं	कार्मिका नाम	पदस्थापन स्थान	अवधि दिवस दिनांकवार व अवकाश विवरण
1	श्रीमति अफसाना खान	डीग	01. दिनांक 06.05.2022 से दिनांक 05.05.2024 तक 2 वर्षीय अध्ययन अवकाश। 02. दिनांक 06.05.2024 से दिनांक 13.07.2024 तक 69 दिवस उपार्जित अवकाश। 03. दिनांक 14.07.2024 से 05.05.2025 तक 296 दिवस असाधारण अवकाश।
2	श्रीमति पुष्पा शर्मा	भरतपुर	01. दिनांक 20.06.2023 से दिनांक 18.06.2025 तक 2 वर्षीय अध्ययन अवकाश। 02. दिनांक 19.06.2025 से दिनांक 20.08.2025 तक 63 दिवस उपार्जित अवकाश। 03. दिनांक 21.08.2025 से 16.10.2025 तक 57 दिवस अर्द्धवैतनिक अवकाश। 04. दिनांक 17.10.2025 से 19.06.2026 तक 246 दिवस असाधारण अवकाश।
3	श्रीमति अरवेश मीणा	भरतपुर	01. दिनांक 31.03.2022 से दिनांक 30.03.2024 तक 2 वर्षीय अध्ययन अवकाश। 02. दिनांक 31.03.2024 से दिनांक 17.06.2024 तक 79 दिवस उपार्जित अवकाश। 03. दिनांक 18.06.2024 से 28.07.2024 तक 41 दिवस अर्द्धवैतनिक अवकाश। 04. दिनांक 29.07.2024 से 30.03.2025 तक 245 दिवस असाधारण अवकाश।
4	श्रीमति रेणु कुमारी	करोली	01. दिनांक 02.07.2022 से दिनांक 01.07.2024 तक 2 वर्षीय अध्ययन अवकाश। 02. दिनांक 02.07.2024 से दिनांक 06.10.2024 तक 97 दिवस उपार्जित अवकाश। 03. दिनांक 07.10.2024 से 29.10.2024 तक 23 दिवस अर्द्धवैतनिक अवकाश। 04. दिनांक 30.10.2024 से 01.07.2025 तक 245 दिवस असाधारण अवकाश।
5	श्रीमति रूपबाई	करोली	01. दिनांक 07.01.2023 से दिनांक 06.01.2025 तक 2 वर्षीय अध्ययन अवकाश। 02. दिनांक 07.01.2025 से दिनांक 25.04.2025 तक 109 दिवस उपार्जित अवकाश। 03. दिनांक 26.04.2025 से 06.05.2025 तक 11 दिवस अर्द्धवैतनिक अवकाश। 04. दिनांक 07.05.2025 से 06.01.2025 तक 245 दिवस असाधारण अवकाश।

(सुरेश नवल)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 08/02/2024

क्रमांक:-नर्सिंग/एएनएम/जोन-भरतपुर/पी-3/2024/ 29  
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जयपुर।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/डीग/भरतपुर/करोली।
- संबंधित कर्मचारी, को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।